दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.05.2014 की कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 3.00 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थिति

1.	प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ0 एम0 खान	सदस्य
3.	प्रो0 सुरेन्द्र दुबे	सदस्य
4.	प्रो0 फिरतू राम	सदस्य
5.	डॉ0(श्रीमती) शोभा गौड़	सदस्य
6.	डॉ0. चन्द्र शेखर	सदस्य
7.	प्रो0 एम0सी0गुप्ता	सदस्य
8.	डॉ0 अजय सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
10.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 रामहित त्रिपाठी	सदस्य
12.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 रमेश बाबू सोलंकी	सदस्य
14.	श्री एस0के0शुक्ल	सचिव

बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व कुलपति जी ने कार्य परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि विश्वविद्यालय के शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके अथक प्रयास से वार्षिक परीक्षा 29 मार्च, 2014 से प्रारम्भ हो गयी है और फाइनल क्लास के परिणाम घोषित हो रहे है ।

बैठक में श्री पी0एन0सिंह, कार्यवाहक वित्त अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यवाही :

बैठक के प्रारम्भ होते ही कार्य परिषद् सदस्य प्रो0 सुरेन्द्र दुबे ने यह जिज्ञासा की कि कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक में कितने एजेण्डा बिन्दु हो सकते हैं ? परिषद् के सदस्य प्रो0 यू0पी0 सिंह ने सूचित किया कार्यसूची उन्हें आज ही प्राप्त हुई है, जिसके अध्ययन हेतु समय नहीं उपलब्ध हो पाया है। प्रकरण में विचार–विमर्श हुआ तथा यह निश्चित हुआ कि आज मात्र तात्कालिक

महत्व के राष्ट्र गौरव परीक्षा प्रकरण पर विचार कर बैठक adjourn कर दी जाय। तदानुसार कार्यसूची के मात्र एजेण्डा बिन्दु 1 (ठ) पर विचार हुआ।

1(ठ) परिषद ने बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम, बी0एस–सी0 (कृषि) के ऐसे छात्र जो तृतीय वर्ष उत्तीर्ण हो चुके है, लेकिन राष्ट्र गौरव की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं या परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये है, के प्रकरणों पर अध्यादेश के प्राविधानों के दृष्टिगत विचार किया।

परिषद् के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र गौरव के अध्यादेश के प्राविधान सूचित किये गये। यह पाया गया कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व विद्यार्थियों को "राष्ट्र गौरव" परीक्षा qualify करना आवश्यक है। चर्चा में यह भी पाया गया कि कुछ विद्यार्थी प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में उपलब्ध अवसरों का प्रयोग न करके मात्र सीधे अन्तिम वर्ष में इस प्रश्नपत्र हेतु आवेदन कर रहे हैं। चर्चा में मत आया कि स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा करा ली जाये, जिन्होंने राष्ट्र गौरव की परीक्षा अभी तक qualify नहीं की है। विचार विनिमय में यह तथ्य भी आया कि अध्यादेशों (Ordinances) में इस प्रकार के अतिरिक्त अवसर की स्वीकृति की व्यवस्था नहीं है। बैठक में पर्यावरण विषय के qualifying paper की व्यवस्था मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में करने विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र के सन्दर्भ में विचार विनिमय हुआ तथा अध्यादेशों को संशोधित करने की व्यवस्था पर भी विचार विनिमय हुआ।

विभिन्न पहलुओं तथा विधिक स्थिति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जब तक राष्ट्र गौरव विषय से सम्बन्धित अध्यादेश संशोधित नहीं किये जाते हैं, तब तक इस विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को परीक्षा qualify करने हेतु अतिरिक्त अवसर नहीं प्रदान किया जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया कि पर्यावरण शिक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए उक्त (राष्ट्र गौरव) के अध्यादेश संशोधित करने की कार्यवाही विहित प्रक्रियानुसार प्रारम्भ की जाय, जिसमें राष्ट्र गौरव परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को Backlog को clear करने हेतु one time एक अवसर देने का प्राविधान भी सम्मिलित कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक अन्य प्रकरणों पर चर्चा किये गये वगैर adjourn हुई।

(एस0के0शुक्ल)
कुलसचिव एवं सचिव, कार्य परिषद

(प्रो0 अशोक कुमार)
कुलपति एवं अध्यक्ष, कार्य परिषद